संख्या:51/2017/413/छ्प्पन-2017-7/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक मई, 2017

विषय: कै0 प्रवीण किशोर तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को सुपर किंग एयर बी-200 वायुयान के सिमुलेटर पर फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग की तिथियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:311/ना0उ0वि0उ0प्र0/आप्स-50/2016, दिनांक 09 फरवरी, 2017 एवं पत्र संख्या:155/ना0उ0वि0उ0प्र0/आप्स-50/2016, दिनांक 31-03-2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 61/2016/935(2)/छप्पन-2016/7/13, दिनांक 19.08.2016 एवं शासनादेश संख्या-84/2016/1336(2)/छप्पन-2016/7/13, दिनांक 20.10.2016 के क्रम में अवगत कराना है कि कै0 प्रवीण किशोर तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को मेसर्स फ्लाइट सेफ्टी इंटरनेशनल फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में सुपर किंग एयर बी-200 वायुयान के सिमुलेटर पर क्रमश: दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 20.09.2016 एवं दिनांक 03.10.2016 से प्रारम्भ होने वाले संशोधित स्लॉट में रिकरेन्ट ट्रेनिंग सम्पादित करने हेतु रू0 17,16,960/- (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) के अग्रिम आहरण और यात्रा व्यय के लिए रू0 9,37,520/- (रूपये नौ लाख सैंतीस हजार पाँच सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. आपके उक्त पत्रों दिनांक 09.02.2017 एवं 31.03.2017 में प्रस्ताव किया गया है कि कै0 प्रवीण किशोर तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) की प्रशिक्षण तिथि दिनांक 30.09.2016 से दिनांक 11.[redacted] की नई तिथियों में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन के प्रस्तावानुसार कै0 प्रवीण किशोर तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को सुपर किंग एयर बी-200 वायुयान के सिमुलेटर पर फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग दिनांक 30.09.2016 से दिनांक 11.10.2016 तक की नई तिथियों में प्रशिक्षण हेतु कार्योत्तर स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें एवं शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- जी-1-/दस-2017, दिनांक मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या:51/2017/934(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0'-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।